तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/7873/2001/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम नारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य

उपस्थित :

श्री खुर्शीद अनवर, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी
श्री वी पी सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी .

—

आदेश

दिनांकः—21.03.2024

1— यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जयपुर ने अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 19.10.2001 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है।

2— रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, जयपुर ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एकीकरण खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015 ग्राम बीड, मालपुरा तहसील जयपुर के खसरा नंबर 113/321 रकबा 9 बिस्वा माफी मंदिर श्री महादेव जी विराजमान देह व अहतमाम पुजारी नारायण पुत्र महादेव नाथ कोम जोगी सा, देह के नाम खातेदारी दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खुद काश्त दर्ज था। कालान्तर में उक्त भूमि से माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया गया। और खातेदारी माफी मन्दिर के बजाय अप्रार्थी भौरया, मांग्या पि. नारायण जोगी के नाम दर्ज कर दी गई। जमाबन्दी संवत् 2049—52 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी तहरीर करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा मंदिर का नाम विलोपित करते हुए सीधे ही अप्रार्थीगण के नाम अंकित कर दी गई तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है । अतः भूमि से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर माफी मंदिर श्री महादेव जी के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करें। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जयपुर ने आदेश दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/7873/2001/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम नारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	19.10.2001 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय न्यायालय को प्रेषित किया है । 3— विद्वान अधिवक्तागण की रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई । 4— विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि एकीकरण खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015 ग्राम बीड, मालपुरा तहसील जयपुर के खसरा नंबर 113/321 रकबा 9 बिस्वा माफी मंदिर श्री महादेव जी विराजमान देह व अहतमाम पुजारी नारायण पुत्र महादेव नाथ कोम जोगी सा, देह के नाम खातेदारी दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खुद काश्त दर्ज था। कालान्तर में उक्त भूमि से माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया गया। और खातेदारी माफी मन्दिर के बजाय अप्रार्थी भौरया, मांग्या पि. नारायण जोगी के नाम दर्ज कर दी गई। जमाबन्दी संवत् 2049—52 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी तहरीर करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा मंदिर का नाम विलोपित करते हुए सीधे ही अप्रार्थीगण के नाम अंकित कर दी गई तथा वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है जिनकी आराजियात पर पुजारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किए जा सकते हैं । यदि इस प्रकार के अधिकार किसी को प्राप्त भी हो गये है तो वह राज0काश्त0अधि0 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत व प्रारंभ से प्रभावशून्य है । अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से हटाकर पुनः माफी मंदिर के नाम दर्ज की जावे । 5— विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है । अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम, जयपुर ने अप्रार्थीगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना एकतरफा में रेफरेंस प्रकरण माननीय न्यायालय को प्रेषित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्तनीय है । उक्त भूमि कभी भी माफी मंदिर की नहीं रही बल्कि अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है। भू—प्रबंध विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से खतौनी बंदोबस्त् के कॉलम में माफी मंदिर महादेव जी अंकित कर दिया गया, इसलिए रेफरेंस खारिज योग्य है। अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/7873/2001/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम नारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खारिज किया जावे।

6— हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया और अतिरिक्त कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

7— प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध एकीकरण खतौनी बंदोबस्त संवत् 2015 ग्राम बीड, मालपुरा तहसील जयपुर के खसरा नंबर 113/321 रकबा 9 बिस्वा माफी मंदिर श्री महादेव जी विराजमान देह व अहतमाम पुजारी नारायण पुत्र महादेव नाथ कोम जोगी सा, देह के नाम खातेदारी दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खुद काश्त दर्ज था। कालान्तर में उक्त भूमि से माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया गया और खातेदारी माफी मन्दिर के बजाय अप्रार्थी भौरया, मांग्या पि. नारायण जोगी के नाम दर्ज कर दी गई। जमाबन्दी संवत् 2049—52 में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है परन्तु तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी वैध आदेश एवं बिना किसी आधार के मंदिर का नाम हटाकर अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई है । चूंकि मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि अन्य को किसी भी रूप में स्थानातांरित नहीं की जा सकती है। अभिलेख से विवादग्रस्त आराजी माफी मंदिर श्री महादेव जी की खातेदारी की होना स्पष्ट होता है, ऐसी आराजी को बिना सक्षम प्राधिकारी के आदेश के निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । खातौनी बन्दोबस्त संवत 2015 लगायत 2034 में वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर की खुद काश्त में दर्ज है। नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/7873/2001/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम नारायण व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इंद्राज निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री महादेव जी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है । 8— फलस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बीड, मालपुरा तहसील जयपुर के खसरा नंबर 113/321 रकबा 9 बिस्वा भूमि जो राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण भौरया, मांग्या पि. नारायण जोगी के नाम दर्ज कर दी गई, उक्त खातेदारी इंद्राज को निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाकर पुनः माफी मंदिर श्री महादेव जी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भंवर सिंह सान्दू)** **सदस्य**	